कार्यालय प्रमुख अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,

इन्द्रावती भवन, ब्लाक 4, तृतीय तल, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़

क्रमांक 151 /त.शा.–2/F-116 (APP-S)/प्र.अ./लो.स्वा.यां.वि./2019 अटल नगर, दिनांक 31/07/2019

//आदेश//

सहायक निर्देशक, शिक्षु प्रशिक्षण मण्डल (पश्चिम क्षेत्र), मुंबई के पत्र क्रमांक बी.ओ.ए.टी./आई.एम.पी.–XIII/614201/17787/दिनांक 10.02.2016 के तारतम्य में अप्रेन्टिस एक्ट 1961 प्रशिक्षुता अधिनियम की धारा–8 (3ए) के अंतर्गत रिक्त पदों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित प्रशिक्षुओं को 01 वर्ष की अवधि के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित मासिक छात्रवृत्ति दर पर नाम के सम्मुख दर्शाये गये कार्यालयों में व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु आदेशित किया जाता है :–

क्र.	प्रशिक्षु का नाम	मुम्बई मुख्यालय से प्राप्त इनरॉलमेंट नंबर	श्रेणी	डिग्री/डिप्लोमा	कार्यालय का नाम	टीप
			आई.टी. इंजीनियर			
1.	कु. रूक्मणी वर्मा	WCTD101190700001	सामान्य	डिप्लोमा	कार्यालय प्रमुख अभियता, अटल नगर	अ.जा. के विरूद्ध चयन
2.	कु. जयश्री देवांगन	WCTD101190700002	सामान्य	डिप्लोमा	कार्यालय प्रमुख अभियता, अटल नगर	अ.ज.जा. के विरूद्ध चयन

उपरोक्त चयन निम्न शर्तो के अधीन किया जाता है –

1. अप्रेन्टिस एक्ट 1961 प्रशिक्षुता अधिनियम की धारा 8 (3ए) की शर्ते लागू होंगी।
2. प्रशिक्षण की अवधि 01 वर्ष होगी।
3. **प्रशिक्षण के पश्चात् विभाग नौकरी देने के लिए बाध्य नहीं होगा ।**
4. प्रशिक्षण अवधि में कार्य संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर चयन निरस्त किया जा सकता है।
5. प्रशिक्षु द्वारा प्रति दिवस निर्धारित प्रपत्र में नियमानुसार दैंनदिनी संधारित किया जाना होगा।
6. प्रशिक्षु द्वारा द्विमाही जानकारी निर्धारित प्रपत्र में अनिवार्य रूप से भरकर भेजना होगा।
7. उपस्थिति उपरांत प्रशिक्षुओं द्वारा प्रशिक्षु मण्डल द्वारा Contract Creation हेतु मांगी जाने वाली सहमति दिया जाना आवश्यक होगा। सहमति नही दिये जाने की स्थिति में प्रशिक्षण हेतु चयन निरस्त माना जावेगा।
8. छात्रवृत्ति भुगतान उपरान्त बैंक स्टेटमेंट की प्रति उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।
9. **प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षुता अधिनियम के अनुसार 12 आकस्मिक अवकाश एवं 15 मेडिकल अवकाश ही प्रदान किये जायेंगे इनके अतिरिक्त समस्त शासकीय अवकाश भी मान्य रहेंगे। इसके अतिरिक्त अवकाश होने पर प्रशिक्षण निरस्त किया जा सकेगा।**
10. **प्रशिक्षण अवधि में बिना कारण त्याग पत्र दिया जाना मान्य नहीं होगा, त्याग पत्र के मान्य कारण (i) गंभीर बीमारी (ii) उच्च शिक्षा हेतु प्रवेश (iii) किसी विभाग में नियुक्ति होने पर निर्धारित है। बिना कारण प्रशिक्षण छोड़ने की स्थिति में प्रशिक्षु को प्रदाय की गई समस्त छात्रवृत्ति की राशि वापस करनी होगी।**
11. **प्रशिक्षण के दौरान डिग्रीधारी प्रशिक्षु को छात्रवृत्ति के रूप में रू. 4984.00 प्रतिमाह एवं डिप्लोमाधारी को रू. 3542.00 प्रतिमाह छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी।**
12. प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त स्थाई प्रमाण पत्र मुम्बई मुख्यालय से प्राप्त होगा।

अधीक्षण अभियंता एवं
नोडल अधिकारी (प्रशिक्षु अधिनियम)
कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर

पृ.क. 4531 /त.शा.–2/F-116 (APP-S)/प्र.अ./लो.स्वा.यां.वि./2019 अटल नगर, दिनांक 31/07/2019

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. सहायक निर्देशक शिक्षु प्रशिक्षण मण्डल (पश्चिम क्षेत्र), ए.टी.आई. कैम्पस वी.एन. पूरव मार्ग सीओन, मुंबई 400022 की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. कार्यपालन अभियंता (MIS), कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि विभागीय वेब साइट में अपलोड करें।
4. कु./श्री/श्रीमती..ट्रेड..की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपनी उपस्थिति आदेश दिनांक से 10 दिवस के भीतर संबंधित कार्यालय में अपनी उपस्थिति देते हुए प्रशिक्षण प्रारंभ करे। आपके द्वारा प्रति दिवस निर्धारित प्रपत्र में नियमानुसार दैंनदिनी संधारित किया जायेगा दैंनदिनी एवं द्विमाही प्रगति प्रतिवेदन का निर्धारित प्रपत्र संलग्न है ।
5. कार्यालयीन आदेश नस्ती ।

प्रारूप प्र.अ. द्वारा अनमोदित।

संलग्नः– दैंनदिनी एवं द्विमाही प्रगति प्रतिवेदन प्रपत्र क्रमांक 04 के लिए

अधीक्षण अभियंता एवं
नोडल अधिकारी (प्रशिक्षु अधिनियम)
कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर